स0स0 3/विविध–01–22/2023 (खड–01)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

त्यावश्यक/ ई–मेल

सेवा मे,

सभी नियंत्री पदाधिकारी,
(बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों के)
बिहार । पटना, दिनाक

विषयः राज्य के प्रशासनिक हित में राज्यधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुकम में वरीय चिकित्सा पदाधिकारी के पद का उच्चतर पद का प्रभार देने के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय अधिसूचना सं0–546(3) दिनांक–12.09.2025

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रासगिक पत्र के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना स0 19300/सा0प्र0, दिनाक–13.10.2023 के क्रम में राज्य के प्रशासनिक हित मे राज्यधीन सेवाओ की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एव पूर्णत अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत कुल–1220 चिकित्सा पदाधिकारीयो को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ वरीय चिकित्सा पदाधिकारी का उच्चतर पद का प्रभार दिया गया है ।

02 परन्तु, कतिपय प्रोन्नत चिकित्सक के द्वारा अद्यतन वरीय चिकित्सा पदाधिकारी के उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण नही किया गया है । उक्त प्रोन्नत चिकित्सको को निदेशानुसार अतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक–**15.03.2026** तक उक्त पद का प्रभार ग्रहण करने का अवसर प्रदान की जाती है।

03. विदित हो कि, राज्य सरकार का सात निश्चय–03 में युवाओ के लिए रोजगार सृजन करना मुख्य बिन्दु के रूप मे शामिल है। चिकित्सकों के द्वारा प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण के उपरात मूल कोटि का पद रिक्त हो जाएगा। तदोपरात विभाग के द्वारा मूल कोटि के उक्त रिक्त पदों पर नई नियुक्ति की जा सकेगी।

04. अत. निदेशित है कि अपने–अपने अधीनस्थ/सर्जेसी में पदस्थापित वैसे चिकित्सक जिन्हें प्रासंगिक अधिसूचना से वरीय चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर प्रभार/प्रोन्नति प्रदान की गई है, को चिन्हित करते हुए दिनाक–**15.03.2026** तक प्रभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराया जाए, ताकि प्रभार ग्रहण करने के उपरात मूल कोटि के रिक्त पदो पर पुन नियुक्ति की जा सके। साथ ही दिनांक–**31.03.2026** के उपरान्त सलग्न विहित प्रपत्र मे आपके अधीनस्थ/सर्जेसी के प्रोन्नत चिकित्सक का प्रभार ग्रहण करने अथवा नहीं करने से सबधित समेकित वाछित सूचना विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ।

05 इसमे सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

ह0/–
(रेणु कुमारी)

216(3)
9/3/26

ज्ञापाक . 216(3) /स्वा0, पटना, दिनाक 5/3/26

प्रतिलिपि: कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियत्रण समिति, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना/सभी सबधित अपर निदेशक (मुख्यालय में पदस्थापित)/सभी प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वा0 एव परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार/सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, दरभगा, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/दत चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार/राजकीय तिब्बी महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना/राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एव अस्पताल पटना/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/निदेशक, आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा, पटना/लोकनायक जय प्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल, राजबशीनगर, पटना/आई0जी0आई0सी0, पटना/न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर, राजगीर/यक्ष्मा प्रदर्शन एव प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/बिहार रक्त अधिकोष, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/बिहार रक्त अधिकोष, जयप्रभा अस्पताल, ककडबाग, पटना/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, अनुमडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल/गुरूगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना/संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुऑ, पटना/लेडि एल्गिन जनाना अस्पताल, गया/एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी सबंधित प्रोन्नत चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित है कि शीघ्र वरीय चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित किया जाए ।

05/03/26

विशेष कार्य पदाधिकारी

विहित प्रपत्र

क0 सं0	विभागीय अधिसूचना सं0 546(3) दिनांक 12.09.2025 का कम सं0	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं पदस्थापन स्थल	वरीयता कमांक (2025 के अनुसार)	वरीय चिकित्सा पदाधिकारी के पद का स्थाई स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार ग्रहण किया गया है अथवा नहीं	कार्यकारी प्रभार ग्रहण किया गया है तो प्रभार ग्रहण की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

नोटः सभी कॉलम को भरना अनिवार्य है। अनाधिकृत अनुपस्थिति हैं तो अभियुक्ति कॉलम में विवरण अंकित किया जाए ।

नियत्री पदाधिकारी का नाम एव हस्ताक्षर

दिनाक

316(3)
5/3/26

D \Old Svstem Data\New folder\2026\Permotion-2026\letter for promotion 2026 docx 09022026-05032026